न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 01 / 174 / 2022 दर्ज तिथिः– 24.11.2022

1. हनुमान पुत्र पन्ना उम्र 70 साल जाति मीना निवासी हींसला तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

................वादी

बनाम

1. जयराम पुत्र पोखर उम्र 52 साल जाति मीना
2. भैरूलाल पुत्र पोखर उम्र 48 साल जाति मीना
   समस्त निवासी हींसला तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
3. रघुवीर प्रसाद पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र 42 साल जाति मीना
4. रामरतन पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र 35 साल जाति मीना
5. महेश पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र 30 साल जाति मीना

..........असल प्रतिवादी

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर जिला अलवर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

..........तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित........
वादी अधिवक्ताः– मुरारीलाल
प्रतिवादी अधिवक्ताः– पेरोकार सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:46 IST
Reason: Self Attested

–:पर्चा डिक्री:–

वादी का दावा बाबत इस्तक[illegible] आज्ञा मुताबिक साबिक रिकॉर्ड एवं असल प्रतिवादीगण के इकबाल जवाब के आधार

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 957/0.39 है0 मे से 04 बिस्वा या 0.05 है0 मुताबिक मौका कब्जा वाके ग्राम हींसला तहसील थानागाजी का सालिम खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादी को उक्त आराजी के हाल राजस्व इंद्राज में दर्ज प्रतिवादी के खातेदारी अंकन को कलमजन कर बाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा स्वयं की खातेदारी में अंकन करवाने बाबत राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 01 / 174 / 2022 दर्ज तिथिः– 24.11.2022

1. हनुमान पुत्र पन्ना उम्र 70 साल जाति मीना निवासी हींसला तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. जयराम पुत्र पोखर उम्र 52 साल जाति मीना
2. भैरूलाल पुत्र पोखर उम्र 48 साल जाति मीना
   समस्त निवासी हींसला तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
3. रघुवीर प्रसाद पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र 42 साल जाति मीना
4. रामरतन पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र 35 साल जाति मीना
5. महेश पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र 30 साल जाति मीना

.....असल प्रतिवादी

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर जिला अलवर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित.....
वादी अधिवक्ताः– मुरारीलाल
प्रतिवादी अधिवक्ताः– पेरोकार सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय तिथिः–09.02.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकरारहक्क उपरोक्त धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मुतनाजा आराजी वाके ग्राम हींसला तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में अवस्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

बन्दोबस्त संवत–2060		बन्दोबस्त संवत्–2028
हाल खसरा	साबिक / हाल खसरा	साबिक
957 / 0.39 है0	910 / 01 बीघा 11 बिस्वा	726 / 01 बिस्वा
		738 / 04 बिस्वा
		739 / 01 बीघा 06 बिस्वा

1. उक्त मुतनाजा आराजी का साबिक खसरा संख्या–738 / 04 बिस्वा का मुताबिक जमाबन्दी सम्वत–2013–16 एवं जमाबन्दी सम्वत्–2020–23 मूल खातेदार वादी दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु बन्दोबस्त सम्वत्–2028 द्वारा क्षेत्राअधिकार से बाहर जाकर साबिक खसरा संख्या–738 / 04 बिस्वा को प्रतिवादीगण की खातेदारी में अवैध रूप से दर्ज कर दिया। उक्त मुतनाजा आराजी साबिक खसरा संख्या–738 / 04 बिस्वा के मौके पर वादी काबिजकाश्त करता चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध व हक नही है। अन्त में मुतनाजा आराजी साबिक खसरा संख्या–738 / 04 बिस्वा पर वादी के खातेदारी अधिकारो की घोषणा कर विरूद्ध प्रतिवादीगण हुक्मईम्तनाई फरमाई जाकर दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–01 नियम–10 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त मुतनाजा आराजी के जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रेता प्रतिवादी संख्या–03 लगायत 05 को पक्षकार बनाया गया। बाद विधिवत तामील असल प्रतिवादीगण स्वयं बाद विधिवत तामील उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा पेश किया गया। इकबाल जबाब दावा में वाद पत्र के समस्त बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि मुतनाजा आराजी साबिक खसरा संख्या–738 / 04 बिस्वा पर वादी के खातेदारी अधिकारो की घोषणा कर का अंकन कर दिया जाता है तो मुझे प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं है।

3. प्रकरण में असल प्रतिवादीगण [illegible] किये जाने के कारण तनकीयात कायम किया जाना आ[illegible] है। साथ ही असल प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल ज[illegible] प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निस्तारित कि[illegible] के संबंध [illegible] प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–15 नियम–1 का उ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

ORDER XV

Disposal of the Suit at the first hearing

1. *Parties not at issue. —Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.*

4. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि मुतनाजा आराजी का साबिक खसरा संख्या–738/ 04 बिस्वा का मुताबिक जनाबन्दी सम्वत्–2013–16 एवं जमाबन्दी सम्वत्–2020–23 मूल खातेदार वादी दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु बन्दोबस्त सम्वत्–2028 द्वारा क्षेत्राअधिकार से बाहर जाकर साबिक खसरा संख्या–738/ 04 बिस्वा को प्रतिवादीगण की खातेदारी में अवैध रूप से दर्ज कर दिया। उक्त मुतनाजा आराजी साबिक खसरा संख्या–738/ 04 बिस्वा के मौके पर वादी काबिजकाश्त करता चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से काई संबंध व हक नही है। अन्त में मुतनाजा आराजी साबिक खसरा संख्या–738/ 04 बिस्वा पर वादी के खातेदारी अधिकारो की घोषणा कर विरूद्ध प्रतिवादीगण हुक्मईम्तनाई फरमाई जाकर दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। साथ ही विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने दौराने बहस समस्त बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि मुतनाजा आराजी साबिक खसरा संख्या–738/ 04 बिस्वा पर वादी के खातेदारी अधिकारो की घोषणा कर अंकन कर दिया जाता है तो मुझे प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं है।

5. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर तनकीवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक नही है। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल जमाबन्दी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार	खसरा	रकबा (है0)
1. जयराम पुत्र पोखर जाति मीना खातेदार हिस्सा–1/2	1024	0.10
	1029	0.23
	1031	0.02
	1032	0.04
2. भैरूलाल पुत्र पोखर जाति मीना खातेदार हिस्सा–1/2	1225	0.29
	[illegible]	0.38
	[illegible]	0.17
	[illegible]	0.15
	[illegible]	0.09
	[illegible]	0.26
	805	0.30

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

	929	0.32
	957	0.39
कुल किता व रकबा	13	2.74

6. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य के अनुसार मुतनाजा आराजी का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–2060 वाकै ग्राम हींसला तथा मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–2028 वाकै ग्राम हींसला का विवरण इस प्रकार है:–

बन्दोबस्त संवत्–2060		बन्दोबस्त संवत्–2028
हाल खसरा	साबिक / हाल खसरा	साबिक
957 / 0.39 है0	910 / 01 बीघा 11 बिस्वा	726 / 01 बिस्वा
		738 / 04 बिस्वा
		739 / 01 बीघा 06 बिस्वा

7. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य के अनुसार मुतनाजा आराजी का मुताबिक जमाबन्दी संवत्–2010–13 वाकै ग्राम हींसला, जमाबन्दी संवत्–2012 वाकै ग्राम हींसला तथा जमाबन्दी संवत्–2013 वाकै ग्राम हींसला के अवलोकन से मुतनाजा आराजी के मुताबिक साबिक खसरा संख्यान पर वादी खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

खतोनी	मालिक	काश्तकार	खसरा	रकबा
210	हनुमान पिसर मुतबन्ना नाम्नी जमना विधवा पन्ना मीना साकिन देह मालिक खातेदार	मालिक खातेदार	738	04 बिस्वा

8. प्रकरण में साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य के अनुसार मुतनाजा आराजी का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–2060 वाकै ग्राम हींसला तथा मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–2028 वाकै ग्राम हींसला से स्पष्ट होता है कि मुतनाजा आराजी 957 / 0.39 है0 साबिक खसरा संख्या 738 / 04 बिस्वा से कायम किया हुआ है। साबिक खसरा संख्या 738 / 04 बिस्वा मुताबिक जमाबन्दी संवत्–2010–13 वाकै ग्राम हींसला, जमाबन्दी संवत्–2012 वाकै ग्राम हींसला तथा जमाबन्दी संवत्–2013 वाकै ग्राम हींसला के अवलोकन से मुतनाजा आराजी के मुताबिक साबिक खसरा संख्या [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना स्पष्ट है। इस प्रकार हाल खसरा [illegible] / 0.39 है0 में से 04 बिस्वा या 0.05 है0 आराजी पर [illegible] हक स्पष्ट प्रतीत होता है। साथ ही हाल खसरा संख्या [illegible] या 0.05 है0 आराजी पर वादीगण के कब्जेका[illegible] किया गया है। इस बाबत असल प्रतिवादीगण द्वारा इकबाज जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के दावे को पुष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

कर दिया है। इस प्रकार दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क व स्थाई निषेधाज्ञा मुताबिक साबिक रिकॉर्ड एवं असल प्रतिवादीगण के इकबाल जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 957/0.39 है0 मे से 04 बिस्वा या 0.05 है0 मुताबिक मौका कब्जा वाके ग्राम हींसला तहसील थानागाजी का सालिम खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादी को उक्त आराजी के हाल राजस्व इंद्राज में दर्ज प्रतिवादी के खातेदारी अंकन को कलमजन कर बाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा स्वयं की खातेदारी में अंकन करवाने बाबत राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 09.02.2023 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner